40 मु.5/08-2716.8

8 सू०आयुक्त/08

संख्या: आ०स० 16/43–2–2008-15/2(7),

SC-24

प्रेषक,

अतुल कुमार गुप्ता,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन,

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव,
   उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त मण्डलायुक्त,
   उत्तर प्रदेश ।
3. समस्त जिलाधिकारी,
   उत्तर प्रदेश ।

प्रशासनिक सुधार अनुभाग–2 लखनऊ : दिनांक 14 जुलाई 2008

विषय:– सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के अर्न्तगत जन सूचना अधिकारियों हेतु मार्गदर्शिका।

महोदय,

जैसाकि आप अवगत हैं कि लोक प्राधिकरणों के नियंत्रणाधीन सूचनाओं तक नागरिकों की पहुँच सुनिश्चित करने तथा लोक प्राधिकरणों की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता लाने व सूचना के प्रवाह को व्यवहारिक बनाने के उद्देश्य से सूचना का अधिकार विषयक अधिनियम, 2005, दिनांक 12 अक्टूबर, 2005 से पूरे देश में प्रभावी है।

2– सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के प्रभावी कार्यान्वयन में लोक प्राधिकरण (Public Authority) का जन सूचना अधिकारी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अधिनियम के द्वारा उसे सौंपे गये कार्यो के निर्वहन में हुई त्रुटियों के लिये उस पर शास्ति लगाई जा सकती है। अतः जन सूचना अधिकारी के लिये यह आवश्यक है कि वह अधिनियम का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और इसके प्रावधानों को भली भाँति समझे। भारत सरकार द्वारा जन सूचना अधिकारियों के कार्यो के सम्बन्ध में अधिनियम के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं को स्पष्ट करने वाली एक मार्गदर्शिका तैयार की गई है। इसी आधार पर राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई मार्गदर्शिका की एक प्रति आपको इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि आप कृपया अपने विभाग एवं अपने विभाग के प्रशासकीय नियंत्रण में आने वाले निदेशालय/ अधीनस्थ कार्यालय/ सार्वजनिक निगमों/उपक्रमों / संस्थाओं/ बोर्ड / आयोग आदि, के प्रत्येक लोक प्राधिकरणों में नामित जन सूचना अधिकारियों को मार्ग दर्शिका की एक–एक प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु उपलब्ध कराने का कष्ट करें ताकि यह मार्गदर्शिका उन्हें अपने कार्यो को प्रभावी ढंग से निष्पादित करने में सहायक सिद्ध हो सके।

संलग्नक– उपरोक्तानुसार ।

भवदीय,

(हस्ताक्षर) 13

(अतुल कुमार गुप्ता)
मुख्य सचिव।

25/7/08

जन सूचना अधिकारियों के लिए मार्गदर्शिका

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 नागरिकों को किसी भी "लोक पाधिकरण" (Public Authority) से सूचना पाप्त करने का अधिकार पदान करता है। किसी लोक पाधिकरण का जन सूचना अधिकारी नागरिकों के सूचना के अधिकार को मूर्त रूप देने में मुख्य भूमिका निभाता है। अधिनियम उसे विशिष्ट कार्य सौंपता है और किसी त्रुटि के मामले में उसे शास्ति हेतु जवाबदेह ठहराता है। अतः जन सूचना अधिकारी के लिए यह आवश्यक है कि वह अधिनियम का ध्यानपूर्वक अध्ययन करे और इसके पावधानों को भली–भांति समझे।

सूचना क्या है

2. किसी भी स्वरूप में कोई भी सामगी "सूचना" है। इसमें किसी भी इलेक्ट्रॉनिक रूप में धारित अभिलेख, दस्तावेज, ज्ञापन, ई–मेल, मत, सलाह, पेस विज्ञप्ति, परिपत्र, आदेश, लॉगबुक, संविदा, रिपोर्ट, कागजपत्र, नमूने, माडल, आंकड़ा सम्बन्धी सामगी शामिल है। इसमें किसी निजी निकाय से सम्बन्धित ऐसी सूचना भी शामिल है जिसे लोक पाधिकरण तत्समय लागू किसी कानून के अन्तर्गत पाप्त कर सकता है।

अधिनियम के अन्तर्गत सूचना का अधिकार

3 किसी नागरिक को किसी लोक पाधिकरण (Public Authority) से ऐसी सूचना मांगने का अधिकार है, जो उस लोक पाधिकरण के पास उपलब्ध है या उसके नियन्त्रण में उपलब्ध है। इस अधिकार में लोक पाधिकरण के पास या नियंत्रण में उपलब्ध कृति, दस्तावेजों तथा रिकार्डों का निरीक्षण, दस्तावेजों या रिकार्डों के नोट, उद्धरण या पमाणित पतियां पाप्त करना, सामगी के पमाणित नमूने लेना शामिल है।

4. अधिनियम नागरिकों को, संसद–सदस्यों और राज्य विधान मण्डल के सदस्यों के बराबर सूचना का अधिकार पदान करता है। अधिनियम के अनुसार ऐसी सूचना, जिसे संसद अथवा राज्य विधानमण्डल को देने से इन्कार नहीं किया जा सकता, उसे किसी व्यक्ति को देने से भी इन्कार नहीं किया जा सकता ।

5. नागरिकों को डिस्केटस, फ्लापी, टेप, वीडियो कैसेट या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक रूप में अथवा पिंट आउट के रूप में सूचना पाप्त करने का अधिकार है, बशर्ते कि मांगी गई सूचना कम्प्यूटर में या अन्य किसी युक्ति में पहले से संरक्षित है, जिससे उसे डिस्केट आदि में स्थानांतरित किया जा सके।